

विधानसभा तारकित प्रश्न क्रमांक 1503 द्वारा श्री नरेंद्र सिंह कुशवाह प्रपत्र अ

क्र.सं.	प्रश्न का नाम	उत्तरदाता	योजना	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	कार्य की कुल लागत (लाख रु.)	निर्माण एजेण्ट का नाम	कार्य अंशपूर्ण होने की तिथि	पर्यवेक्षण पार्टी की अध्यक्ष	मार्ग के सड़क एवं पुलिका कायम होने का कारण	दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही	सेक्रेटरी के विरुद्ध किए गए विचार एक कार्यवाही की जायेगी।
1	दक्षिण गोपालपुर मार्ग	श्री	एन.डी.बी.	08.03.2019	25.02.2022	3383.60	श्री. वासुदेव कान्हेरकर, श्री. के.के.शर्मा, एन.डी.बी. प्रशासक, पंचायत समिति, हरियाणा	22.02.2027	10	11	12	13
							1. सेवा निवृत्त तत्काल कार्यपालन सहायक, श्री. के.के.शर्मा, एन.डी.बी. प्रशासक, पंचायत समिति, हरियाणा 2. सेवा निवृत्त तत्काल कार्यपालन सहायक, श्री. के.के.शर्मा, एन.डी.बी. प्रशासक, पंचायत समिति, हरियाणा 3. सेवा निवृत्त तत्काल कार्यपालन सहायक, श्री. के.के.शर्मा, एन.डी.बी. प्रशासक, पंचायत समिति, हरियाणा	मार्ग के कि.मी. 13/10, 15/2, 15/10, 21/10 एवं कि.मी. 23/4 में सड़क एवं कि.मी. 16/8, 16/2, 22/8, 22/10 में निर्मित पुलियाएँ वर्ष 2021 में अधिलेखित होने के कारण अंशपूर्ण से हेतु नहीं बन पाये हैं। यह मार्ग बंद होने से रेत एवं मिट्टी के भारी परिवहन उत्तर गोपालपुर के वैकल्पिक मार्ग से किया गया, जिसके कारण उत्तर गोपालपुर के वैकल्पिक मार्ग से किया गया, जिसके कारण उत्तर गोपालपुर के वैकल्पिक मार्ग से किया गया। अतः इस हेतु सेक्रेटरी द्वारा तत्काल कार्यवाही के आवागमन से प्रतिबन्धित किया जा रहा है। एन.डी.बी. प्रशासक एवं पर्यवेक्षण पार्टी की राय से सुधार कार्य किया जायेगा। चूंकि मार्ग पर्यवेक्षण पार्टी के अंतर्गत है। अतः इसका सुधार कार्य संबंधित सेक्रेटरी द्वारा किया जायेगा। इसके द्वारा इसका सुधार कार्य न करने पर भी आवागमन के अभाव से सेक्रेटरी की जमा राशि को जल करते हुए मार्ग का सुधार कार्य अंशपूर्ण एवं सेक्रेटरी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाया गया है।	कोई अधिकारी दोषी नहीं है।	कुछ स्थानों पर सड़क एवं पुलियाओं में कटाव हुआ है। जिस हेतु सेक्रेटरी ने वासुदेव कान्हेरकर, कर्मचारी प्रभु सिंह को मरम्मत करने हेतु कार्यवाही करी सैन्या विभाग द्वारा दिनांक 28.01.2024 को नोटिस जारी किया गया है। मार्ग एवं पुलियों की क्षति का आकलन किया जा रहा है एवं उचित अनुसार सेक्रेटरी से 16 दिवस अर्थात् दिनांक 14.02.2024 तक सड़क की मरम्मत करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, यदि सेक्रेटरी उक्त अवधि में सड़क एवं पुलियों की मरम्मत कार्य नहीं करता है तब उपर विधि में कार्यवाही करी सैन्या विभाग द्वारा सेक्रेटरी को मरम्मत कार्यवाही की जायेगी।		

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग पश्चिम बंगाल

विशेष, कंटेन्टर अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्य प्रदेश मंत्रालय, गोंयाल